बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)
<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक 25/6/26

संचिका संख्या– कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 /कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा–59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ***"बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014"*** का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–
(1) यह नियमावली "बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जाएगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–4 का उपनियम–2 का प्रतिस्थापन।–
उक्त नियमावली के नियम–4 के उपनियम–2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –
"4.2. कुल पदबल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से, 25 प्रतिशत पद बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से, 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों से एवं शेष 12.5 प्रतिशत पद बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों से भरा जायेगा।"

3. बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–5 के उपनियम–2 का खण्ड–2 का प्रतिस्थापन।–
उक्त नियमावली के नियम–5 के उपनियम–2 का खण्ड–2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –
"5.2.2 गृह रक्षकों एवं पूर्व अग्निवीरों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा एवं उसमें छूट का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में "सिपाही" पद के लिए समय–समय पर विहित किया जाए।"

4. बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–5 का उपनियम–3 का प्रतिस्थापन।–

उक्त नियमावली के नियम–5 का उपनियम–3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"5.3. अर्हता प्राप्त गृह रक्षकों, पूर्व अग्निवीरों एवं भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में रिक्तियाँ उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक/गैर पूर्व अग्निवीर/गैर भूतपूर्व सैनिक अर्थात सीधी भर्ती के उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी।"

5. बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–6 का उपनियम–3 का प्रतिस्थापन।–

उक्त नियमावली के नियम–6 के उपनियम–3 के शीर्षक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"6.3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों, बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया।"

6. बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम–6 के उपनियम–3 का खण्ड–1 एवं 2 का प्रतिस्थापन।–

उक्त नियमावली के नियम–6 के उपनियम–3 का खण्ड–1 एवं 2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"6.3.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों, बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कक्षपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन परीक्षा एजेंसी द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक एवं मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रावधान वही होंगे जो बिहार पुलिस में सिपाही के भर्ती हेतु लागू होगें।"

"6.3.2 परीक्षा एजेंसी सीधी भर्ती के लिए अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों, बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 12.5 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कक्षपाल के पदों पर भर्ती हेतु अलग–अलग अथवा एक साथ विज्ञापन निकाल कर लिखित परीक्षा आयोजित कर सकेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.06.2026

(संजीव जमुआर)
अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करें।

25.06.2026

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.06.2026

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः—सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.06.2026

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः—महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.06.2026

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— कारा/स्था०(कक्ष०)–01–39/2011 6193 पटना, दिनांक 25/6/26

प्रतिलिपिः—आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.06.2026

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्रशासन)
गृह विभाग (कारा),
बिहार, पटना।

Government of Bihar
Home Department (Prison)
Notification

Patna, Dated ---25/6/26---

File No.- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011......6193......./ In exercise of powers conferred by Section 59 of Prisons Act, 1894, (Act No. 9 of 1894) Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the **"Bihar Warder Cadre Rules, 2014"** :-

1. **Short title, extent and commencement.-**

   (1) These rules may be called the "Bihar Warder Cadre (Amendment) Rules, 2026".

   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Substitution of Sub-rule-2 of Rule-4 of the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.

   Sub-rule-2 of Rule-4 of the said Rules shall be substituted as follows:-

   "4.2. Against the total strength, 50 percent posts will be filled by direct recruitment, 25 percent posts will be filled from trained Home Guards of Bihar State, 12.5 percent posts will be filled from Ex-Servicemen and the remaining 12.5 percent posts will be filled from Ex- Agniveers of Bihar State."

3. Substitution of Clause-2 of sub-rule-2 of rule 5 of the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.
   Clause-2 of Sub-rule-2 of rule 5 of the Bihar Warder Cadre Rules shall be substituted as follows:-
   "5.2.2. The maximum age limit and the relaxation criteria prescribed for the vacancies to be filled from Home Guards and Ex-Agniveers shall be the same as prescribed from time to time for the post of "Constable" in Bihar Police."

4. Substitution of Sub-rule 3 of Rule 5 of the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.

   Sub-rule 3 of Rule 5 of the Bihar Warder Cadre Rules shall be substituted as follows:-

   "5.3. In case of non-availability of qualified Home Guards, Ex-Agniveers and Ex-Servicemen, vacancy shall be filled by Non-Home Guard/Non-Ex-Agniveer /Non-Ex-Serviceman candidates of the same reservation category through direct recruitment."

5. Substitution of Sub-rule 3 of Rule 6 of the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.

The heading of Sub-rule 3 of Rule 6 of the Bihar Warder Cadre Rules shall be substituted as follows:-

"6.3. Procedure for recruitment to 12.5 percent posts reserved for Ex-Servicemen, 12.5 percent posts reserved for Ex-Agniveers of Bihar State and 25 percent posts reserved for Home Guards of Bihar State."

6. Substitution of Clauses 1 and 2 of sub-rule 3 of Rule 6 of the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.

Clauses 1 and 2 of sub-rule 3 of Rule 6 of the Bihar Warder Cadre Rules shall be substituted as follow:-

"6.3.1. Applications shall be invited by the Examination Agency for appointment against 12.5 percent reserved posts for Ex-Servicemen, 12.5 percent reserved posts for Ex-Agniveers of the State of Bihar and 25 percent reserved posts for Home Guards of the State of Bihar for the post of Warder. A written examination will be conducted on the basis of application. Minimum marks for the written examination and process and provisions for preparing the merit list will be the same as applicable for recruitment of constable in Bihar Police."

"6.3.2. The Examination Agency may conduct a written examination for appointment to the post of Warder either through direct recruitment or for recruitment to 12.5 percent reserved posts for Ex-Servicemen, 12.5 percent reserved posts for Ex-Agniveers of Bihar State, and 25 percent reserved posts for Home Guards of Bihar State, by publishing advertisements either jointly or separately."

By Order of the Governor of Bihar

25.06.2026

(Sanjeev Jamuar)
Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.

Memo No:- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011.../193 Patna, Dated..25/6/26

Copy to:- Superintendent, Gulzarbagh Press, Patna-7 for Information and necessary action. He is directed to publish this notification in the next special Bihar Gazette.

25.06.2026

Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.

Memo No:- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011 6193 Patna, Dated 25/6/26

Copy to:-Auditor General, Bihar, Patna for information and necessary action.

25.06.2026

Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.

Memo No:- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011 6193 Patna, Dated 25/6/26

Copy to:- General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secretariat Department/Central Selection Board (Constable Recruitment), Bihar, Patna for information.

25.06.2026

Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.

Memo No:- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011 6193 Patna, Dated 25/6/26

Copy to:- Inspectorate General, Inspectorate of Prisons and correctional services, Bihar, Patna/ Superintendent, All Central Jail/ District Jail/ Sub Jail for information.

25.06.2026

Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.

Memo No:- Jail/Estab.(warder)–01–39 / 2011 6193 Patna, Dated 25/6/26

Copy to:-I.T Manager, Home Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

25.06.2026

Additional Secretary-Cum-Director (admin)
Home Department (Prison)
Bihar, Patna.